

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक : एफ 15( )विधि-2023/गोप्र/प्रमुखसं-08063/

दिनांक :

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर/मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय : विभिन्न विभागों में न्यायालय के स्थगन के कारण लम्बित पदोन्नति का विवरण।

संदर्भ : संयुक्त शासन सचिव (वन), राजस्थान जयपुर के पत्रांक प0 12(9)वन/2019-00321 पार्ट7

दिनांक 07.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा संयुक्त शासन सचिव (वन), राजस्थान जयपुर ने कार्मिक (क-2) विभाग से प्राप्त अशा. टीप दिनांक 26.07.2023 की छाया प्रति संलग्न कर विभिन्न विभागों में न्यायालय के स्थगन के कारण लम्बित पदोन्नति की समन्वित सूचना संलग्न प्रपत्र में अविलम्ब भिजवाने एवं सूचित करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की वांछित संकलित सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 31.08.2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें:-

| क्र. सं. | पद का नाम, जिसकी डीपीसी पर स्थगन है। | न्यायालय का नाम जिसमें प्रकरण लम्बित है। | न्यायालय में स्थगन के संबंध में संक्षिप्त विवरण | पिछली सुनवाई दिनांक | विभाग के अतिरिक्त महाधिवक्ता/अधिवक्ता का नाम |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                    | 3                                        | 4                                               | 5                   | 6                                            |

- नोट : 1. समस्त कार्यालय स्पष्ट, पठनीय पूर्ण वांछित सूचना परीक्षण करने के उपरांत ही इस कार्यालय को प्रेषित करें। अधीनस्थ कार्यालयों के अनावश्यक पत्रों को संलग्न नहीं करें।  
2. यदि किसी कार्यालय की सूचना शून्य हो तो भी सूचना प्रेषित करें।

भवदीय,

(राजीव चतुर्वेदी)  
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)  
राजस्थान, जयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Raj Chaturvedi  
Designation: Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.17 17:35:46 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4533514



क्रमांक : एफ 15( )विविध-2023/गोप्र/प्रमुवसं-08063/ 7259-7342/c

दिनांक : 18.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)  
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Raju Chaturvedi  
Designation : Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.17 17:35:46 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4533514

